न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 106/16 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. परसादा पुत्र हरलाल जाति गूर्जर निवासी निभोर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:----------अपीलांट/वादी

बनाम

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

2 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बहरोड

:----- रेस्पो0/प्रतिवादी

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 21.6.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री विनोद यादरव

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 22-7-19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2016 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 189 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 534 रकबा 32 एयर, 541/700 रकबा 8 एयर, 543 रकबा 30 एयर, 545/701 रकबा 9 एयर वाके ग्राम निभोर तहसील बहरोड में स्थित है, जो विवादित है । इसके साबिक खसरा नम्बर 387, 383, 394, 420, 429, 398 थे । ये आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की है, जो सम्वत 2020 तक वादी के पिता हरलाल पुत्र दौलता के नाम दर्ज थी । उनके बाद वादी को यह आराजी प्राप्त हुई । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में विवादित आराजीयात को सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जो गलत है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है । तहसीलदार बहरोड ने अपने निर्णय दिनांक 15.8.1989 के द्वारा विवादित आराजी लम्बे कब्जे के आधार पर वादी के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की थी, परन्तु गौर नहीं किया ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी हमारी कब्जे का श्त खातेदारी की आराजी थी, परन्तु हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 में इस आराजी को बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को साबिक इन्द्राजात को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । उसके केवल पुराने इन्द्राजात को रिपीट करने का हीं अधिकार है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया और गलत तौर पर दावा डिक्री कर दिया । तहसीलदार ने भी लम्बे कब्जे के आधार पर विवादित आराजी को मेरे पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की थी, परन्तु इस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि विवादित आराजी सिवायचक है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते । ऐसी भूमियों का केवल आवंटन/नियमन हो सकता है । जिसके लिये अलग कमेटी बनी हुई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रेकार्ड है । वादी अपीलांट ने अपना वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है । जबकि सिवायचक भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार के राईट प्रदान नहीं किये जा सकते । सिवायचक भूमियों का केवल आवंटन/नियमन हो सकता है, जिसके लिये कमेटी बनी हुई है । उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदे श है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.6.2016 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner